



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1513 वर्ष 2026

रूपेश कुमार
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दिलीप सिंह, रवि कुमार मिश्रा प्रतिवादी के अधिवक्ता
: सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02/13/C1/PCS-2023/2023-24 जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में भाग लिया और उन्हें हमीरपुर में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि राज्य के जेल विभाग में उप जेलर के पद के लिए 251 सफल उम्मीदवारों में से 75 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। याचिका के पैरा-15 में यह दावा किया गया है कि तीन योग्य व्यक्तियों को उप जेलर के पद पर कार्यभार सौंप दिया गया है।
- वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के उप जेलर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना चाहिए।
- बार में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रतिवादी इस अभ्यावेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 2 को लगता है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के बाद कागजात उस प्राधिकारी को भेजे जाएंगे।

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"